Pollution N.O.C

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
**Regional Office**

दूरभाष : ०५२२-२३२९५३९
Phone : 0522-2329539

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

सन्दर्भ सं०
Ref. No. : 241 / NOC-1796/14

दिनांक
Dated : 24.4.2014

सेवा में,

मैसर्स आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि०,
द्वारा—श्री मथुरेस श्रीवास्तव,
2/334, विवेक खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से प्रस्तावित मै० आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० (आर्षा सुमंगलम), भू—खण्ड सं0—14/जी0एच0—13, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जोकि इस कार्यालय में दिनांक 21/03/14 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र के अवलोकन, तथा स्थल के निरीक्षणोपरान्त इस कार्यालय से जारी पत्र दिनांक 07/04/14 के अनुपालन में आप द्वारा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं संवेदनशील शर्तों के समयबद्ध अनुपालन हेतु आपके निर्माणाधीन स्थल भू—खण्ड सं0—14/जी0एच0—13, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ पर ग्रुप हाउसिंग (144 आवासीय फ्लैट्स) कुल कवर्ड एरिया—16734.96 वर्ग मीटर के निर्माण हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाता है :—

1— ग्रुप हाउसिंग की स्थापना का कार्य भू—खण्ड सं0—14/जी0एच0—13, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ पर ग्रुप हाउसिंग (144 आवासीय फ्लैट्स) कुल कवर्ड एरिया—16734.96 वर्ग मीटर का निर्माण आवास विकास परिषद द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही किया जायेगा।

2— प्रस्तावित स्थल पर आवासीय परियोजना की स्थापना हेतु आवास विकास परिषद से मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही ग्रुप हाउसिंग का निर्माण किया जायेगा।

3— ग्रुप हाउसिंग से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु जमा प्रस्ताव के अनुसार 65 के0एल0डी0 के एस0टी0पी0 की स्थापना ग्रुप हाउसिंग के संचालन से पूर्व करना अनिवार्य होगा तथा शुद्धीकृत उत्प्रवाह को शत—प्रतिशत सिंचाई/फलशिंग इत्यादि में प्रयोग कर शून्य किया जायेगा एवं किसी भी दशा में परिसर के बाहर निस्तारित नहीं किया जायेगा ।

4— ग्रुप हाउसिंग में प्रस्तावित 62.5 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0 सेट पर बोर्ड मानकों के अनुरूप ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा तथा एक्जॉस्ट (चिमनी) की ऊंचाई ग्रुप हाउसिंग के ऊपरी छत से 2.0 मी0 ऊंची रखी जायेगी।

5— इकाई द्वारा ग्रुप हाउसिंग के उपभोग प्रारम्भ करने से पूर्व बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

6— इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– ग्रुप हाउसिंग से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ठ का सेग्रीगेशन स्रोत पर ही किया जायेगा, तदोपरान्त म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम–2000 के अनुसार निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था की जायेगी।

8– निर्माण कार्य के दौरान धूल से प्रदूषण के रोकथाम हेतु वाटर स्प्रिकलिंग की उचित व्यवस्था तथा ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय किये जायेगें। निर्माण कार्य के दौरान प्रस्तावानुसार उचित पर्यावरण प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– ग्रुप हाउसिंग में आवश्यकता के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिर्चाजिग की व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य होगा ।

10– वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग हेतु सोलर एनर्जी पैनल की स्थापना किया जाये।

11– इकाई परिसर के बाहर किसी भी दशा में वाहनों की पार्किंग इत्यादि नहीं किया जायेगा।

12– निर्माण के दौरान जनित मलबा तथा तोड़–फोड़ से जनित ठोस अपशिष्ठों का एकत्रण एवं निस्तारण इस प्रकार से किया जाये, ताकि आस–पास की आबादी एवं यातायात पर उक्त का कुप्रभाव न पड़े।

13– परिसर में यथा सम्भव परिसर में खाली स्थानों पर नियमानुसार हरितपट्टिका का विकास किया जाना सुनिश्चित करें।

14– आकस्मिक दुर्घना से बचाव हेतु सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध करना अनिवार्य होगा।

15– इकाई की स्थापना का कार्य इस प्रकार से किया जाये कि आस–पास के वातावरण तथ जन–मानस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

16– परियोजना हेतु भू–गर्भ ज़ल दोहन के सम्बन्ध में सक्षम विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

17– यह आदेश निर्गमन तिथि से अगले 02 वर्ष हेतु विधि मान्य होगा।

18– उक्त शर्तों में से शर्त संख्या–1 से 9 का समुचित अनुपालन न पाये जाने की स्थिति में आप द्वारा जमा की गयी बैंक गारण्टी संख्या–6838IPEBG140003 दिनांक 22/04/14 निर्गत बैंक–बैंक आफॅ इण्डिया, शाखा–पत्रकारपुरम, गोमती नगर, लखनऊ धनराशि रू0 1,50,000/– (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) राज्य बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त कराने की कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा परियोजना की प्रगति आख्या प्रत्येक 03 माह में प्रेषित करें अन्यथा शर्तों में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित न करने पर यह आदेश निष्प्रभावी हो जायेगा।

भवदीय,

(ए0के0 तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी